—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 91/2022

उनवान

1. छगना पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम देराठू नसीराबाद
——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. सुखपाल पुत्र कल्लू,
2. टीकम पुत्र नारायण,
3. उमराव पुत्र देवकरण,
4. पोखर पुत्र चन्दा समस्त जातिगण जाट निवासी देराठू तहसील नसीराबाद,
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
——प्रतिवादीगण :— 5 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित
6. रामलाल पुत्र स्व. श्रीकिशन जाति जाट निवासी देराठू तहसील नसीराबाद
—— प्रफोर्मा प्रतिवादी :— अनुपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 30.4.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 5778/0.11, 5779/0.10, 5780/0.06, 5781/0.12 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के पिता की खातेदारी की है। प्रफोर्मा प्रतिवादी के पिता श्रीकिशन की मृत्यु हो गयी है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी उक्त आराजी पर वर्षो से फसल काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन—पोषन करते आ रहे है। किन्तु वादी के गांव के प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने उक्त आरजी पर जबरन व बलपूर्वक अवैध कब्जा करते हुये दिनांक 31.06.2021 को फसल काश्त कर दी। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने एक मसह में उक्त भूमि को खाली करने का आश्वासन दिया किन्तु खाली नही किया। प्रतिवादीगण बिना किसी अधिकार के उंक्त आराजी पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा से प्रतिवीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को [illegible]

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीग[illegible] को [illegible]यें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 प्रकरण [illegible] पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने से तनकी का[illegible] नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:42 IST
Reason: SelfAttested

——2

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकॉर की बहस पर मनन किया। ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 5778/0.11, 5779/0.10, 5780/0.06, 5781/0.12 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के पिता की खातेदारी की है। प्रफोर्मा प्रतिवादी के पिता श्रीकिशन की मृत्यु हो गयी है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद को कोई खण्डन पेश नही किया है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व वाद के कथनों से प्रकरण वादी के पक्ष में सिद्व होता है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही होने से वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बेदखली प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 5778/0.11, 5779/0.10, 5780/0.06, 5781/0.12 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बेदखल कर कब्जा वादी व प्रर्फोमा प्रतिवादी को दिलवाने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छगना बनाम सुखपाल

दावा बाबत :– 183 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 91/2022
पेश करने की दिनांक – 20.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 5778/0.11, 5779/0.10, 5780/0.06, 5781/0.12 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को बेदखल कर कब्जा वादी व प्रर्फोमा प्रतिवादी को दिलवाने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 4 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:42 IST
Reason: SelfAttested